

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स हिमालय स्टोन प्रस्तावित खनन परियोजना(सेण्ड स्टोन एवं मेसनरी स्टोन), के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना एम.एल.संख्या 10/2023, क्षेत्रफल 1.7467 हेक्टेयर, (क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 51.9127 हेक्टेयर), उत्पादन क्षमता 250684 टी.पी.ए.(रोम), क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 4960552 टी.पी.ए.(रोम), खसरा संख्या 477, 478 एवं 528 निकट ग्राम-डाबी, तहसील-तालेड़ा एवं जिला-बून्दी (राजस्थान), में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की अध्यक्षता में दिनांक 26.12.2024 को दोपहर 1:00 बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र डाबी, तहसील-तालेड़ा, जिला-बून्दी (राजस्थान) में आयोजित जनसुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।


वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के पत्र क्रमांक 190 दिनांक 12.11.2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी के पत्र क्रमांक RPCB/ROBundi/PUB-126/1516-1522 दिनांक 14.11.2024 के अनुपालना में मैसर्स हिमालय स्टोन प्रस्तावित खनन परियोजना(सेण्ड स्टोन एवं मेसनरी स्टोन), के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना एम.एल.संख्या 10/2023, क्षेत्रफल 1.7467 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 250684 टी.पी.ए.(रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 51.9127 हेक्टेयर, क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 4960552 टी.पी.ए.(रोम), खसरा संख्या 477, 478 एवं 528 निकट ग्राम-डाबी, तहसील-तालेड़ा एवं जिला-बून्दी (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 26.12.2024 को आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर सलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दैनिक अंगद समाचार पत्रों में दिनांक 18 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित करवाई गई जो की परिशिष्ट संख्या 02 पर सलग्न हैं।

जनसुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आगंतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्री लक्ष्मीकान्त, उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने जनसुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथ प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों /व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार सलाहकार कॉग्निजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड की तकनीकी सलाहकार श्रीमती कायनात आजम के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं


क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

ग्रामवासियों/जनसमूह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और नवीनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।


श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्री लक्ष्मीकान्त, उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बूंदी की ओर से जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ती सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ती के बारे में पूछा तथा बताया कि अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते हैं।


अतं में ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपत्ती नहीं होना बताया।

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात् उक्त परियोजना से सम्बन्धित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/ प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतं में श्री लक्ष्मीकान्त, उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बूंदी की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जनसुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग (सी.डी.) संलग्न है।


लक्ष्मीकान्त
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बूंदी (राज.)


सविता 31/12/24
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी (राज.)

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स हिमालया स्टोन, एम.एल. संख्या 10/2023, क्षेत्रफल - 1.7467 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता - 250684 टी.पी.ए. (रोम), खसरा संख्या 477, 478 एवं 528, निकट ग्राम - डाबी, तहसील - तालेड़ा, जिला - बून्दी की प्रस्तावित सेण्ड स्टोन एवं मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मय क्लस्टर, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल - 51.9127 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता - 4960552 टी.पी.ए.(रोम) के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :-






स्थान :- राजीव गाँधी सेवा केन्द्र डाबी, तहसील - तालेड़ा, जिला - बून्दी

दिनांक :- 26.12.2024

समय :- दोपहर: - 1:00 बजे से

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	LALMI KANT (RMS) SDM TALERA	
2.	Savita, Ro, RSPCB, Bundi	
3.	Pol-fayl Balai, AEE, RSPCB Bundi	
4.		
5.	पुननीलकाव धारा 5 में उमरी काली	
6.	नन्दू लाल शर्मा व प्रीति लाली शर्मा शर्मा	
7.	माली लाल धाकड़ गो घनपुरा	
8.	गोपाल प्रताप शर्मा	
9.	शेखर लाली नाइसायन	
10.	फूलचन्द राठौर लामनामोह (डाबी)	
11.	मनमोहन राठौर	
12.	पारसम लाल राठौर	
13.	दामोदर लाल शर्मा व प्रीति लाली शर्मा	
14.	सुनील लाल शर्मा लामनामोह (डाबी)	

	नाम व पता	हस्ताक्षर
15.	मुन्नेरावणे रोड मुंबई	(मुन्नेरावणे)
16.	ड. म. म. ड. ड. ड. ड. ड.	ड. म. म. ड.
17.	काठमांडू / राधाचरणजी	काठमांडू
18.	निर्मल कुमार / जिजा कुमार	निर्मल
19.	अनिल शर्मा व शिवचरण शर्मा	(अनिल)
20.	का-डोहा मार्ग डोहा उत्तरांचल रा. (डोहा)	डोहा
21.	सातीरवाडी डोहा	(सातीरवाडी)
22.	विनोद सरावत डोहा	विनोद
23.	सावरलाल मुतडा	
24.	मनोज सिंघु मुतडा	मनोज सिंघु
25.	अजय शर्मा जाली	अजय शर्मा
26.	मैलम चड चड आगरी का जेडा	मैलम चड
27.	अशोक कुमार जाली	अशोक
28.	दोरलकाशी मीना जाली	दोरलकाशी
29.	विपक उमालीका मुतडा	विपक
30.	गोम, सावरलाल मुतडा	गोम
31.	अजय शर्मा चड उमालीका मुतडा	अजय शर्मा
32.	राजेश कुमार चड, गोवर्धन विवाह	राजेश
33.	कैलारा चड मीना	Kailash
34.	Kayrat Arzen, CRIP, Udaipur	(Kayrat)

	नाम व पता	हस्ताक्षर
35.	Devi Chand Dangi Jalpa	
36.	Raghuvar Mehra	
37.	मि. लाल चंद्राविक STC	मि. लाल चंद्राविक
38.	Kamlesh Kumar Jha	
39.	मि. लाल चंद्राविक Kaha STC	
40.	कमलेश कुमार नरीली	Kamlesh
41.	आशिष गुजर नरीली	
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		
54.		

दिया। बनाने के लिए अध्यक्षनरत मिलन देशभर के हजारों विद्यार्थियों के अनूठी लिए यह दिवस यादगार बन

नक जार विज्ञान के लिए अनूठा संगम विद्यार्थियों को अध्यात्म और ध्यान से जोड़ने के लिए रहा।

सापेक्षा न किया इस अवसर पर अप्रामत सागर और मुनि सहज सागर महाराज संघ का सानिध्य भी प्राप्त हुआ।

पर पीड़ित शोध, प्रदर्शन



श मेरुठा, थानाधिकारी, देई, महेंद्र सिंह, कारी नैनवा, राजूलाल मीणा, उपाधीक्षक तथा रामराज मीणा, तहसीलदार मौके पर रहे। पुलिस विभाग का जाब्ता मौके पर रहा। पुलिस प्रशासन द्वारा गुरूकुल के सुरेश शर्मा को गुरूकुल से अपने साथ बैठाकर पैर में चोट का उपचार करवाने जाना हुयी दोनों मृत बच्चों के परिवार वाले पुरुष मृत बच्चों की जांच का परिणाम सामने नहीं आने से पुलिस प्रशासन के नी पीड़ा व्यक्त करते रहे।

जारी बालाजी का धाम से संपन्न



डूबे। महंत बाबा शिव दास जी नागा 15 , नंद किशोर जी, नंदा चाचा से और गगन सक्सेना ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य समाज में भक्ति भावना का जागृत करना और आध्यात्मिकता का प्रसार करना है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को धन्यवाद देते हुए इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए आभार प्रकट किया।

एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर 19 को

(अंगद संवाददाता) / बून्दी, 18 नवम्बर। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से 19 नवम्बर को होटल शगुन नैनवां रोड़ पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)
 Email id - npiindragarh1008@gmail.com Phone No- 07458-225067
 क्रमांक-न.पा.इ./2024-25/2175 दिनांक- 14.11.2024

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत सरकार की निर्धारित गाईड लाईन अनुसार वर्ष 2024-25 में नगरपालिका इन्द्रगढ़ के समस्त बाडों को ध्वस्त किया जा रहा है।

- खुलें में शौच ना करें, शौचालय का उपयोग करें अन्यथा नियमानुसार जुर्माना लगाया जावेगा।
- प्लास्टिक केरी बैग / पॉलिथिन का उपयोग ना करें, अन्यथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 अधिसूचना के नियमानुसार जुर्माना एवं कारावास अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा।
- सार्वजनिक स्थानों विद्यालय सरकारी / गैरसरकारी / सम्पत्ति पर बैनर / पोस्टर हलोगन से भंडा ना करें। अन्यथा सम्पत्ति विरुद्ध विनियम 2006 की धारा 3 (1) (2) के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- स्वच्छता ऐप अधिक से अधिक डाउनलोड करावें।
- पेड़-पौधे लगाकर इन्द्रगढ़ को हरा भरा करें।
- घर व दुकानों पर गीला व सूखा कचरा डालने हेतु अलग-अलग दो डस्टबीन का प्रयोग करें।
- कुड़े कचरे को ऑटो टिपर एवं निर्धारित स्थान पर ही डालें।
- जूट, कागज, और कपड़े का प्रयोग करें।
- हमारा संकल्प- स्वच्छ प्रदेश-हरा भरा प्रदेश-सुंदर प्रदेश

श.सं.सं.सं./सी/24/7887 अतिरिक्त अधिकारी

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
 Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
 E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/RO Bundi/PUB-126/1516 Date : 14.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स हिमालय स्टोन खसरा नम्बर 477, 478 एवं 528 निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सैंडस्टोन एवं मैसरी स्टोन माइनिंग माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सैंड स्टोन एवं मैसरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलास्टर क्षेत्र-51.9127 हेक्टर, कुल अनुमानित कलास्टर उत्पादन क्षमता 4960552 TPA (ROM) आवेदक मैसर्स हिमालय स्टोन द्वारा प्रस्तावित सैंडस्टोन एवं मैसरी स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका (एम.एल. संख्या 10/2023) खनन क्षेत्र 1.7467 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 250684 TPA (ROM) जो कि खसरा नम्बर 477, 478 एवं 528 निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स हिमालय स्टोन ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना को लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसार जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से संबंधित सक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं सक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलाक्टर, बून्दी। 2. CEO जिला परिषद, बून्दी। 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र झालाना दुंगरी, जयपुर। 4. क्षेत्रीय कार्यालय, खन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। 5. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, बून्दी। 6. उपखण्ड अधिकारी तालेडा, जिला बून्दी। 7. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, बून्दी। 8. ग्राम पंचायत, डाबी। 9. राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी। 10. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 11. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलाक्टर बून्दी के पत्र क्रमांक 190 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2024 (गुरुवार) को दोपहर 1.00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सामधानियों को पालना सुनिश्चित करनी होगी।

सचिवा
क्षेत्रीय अधिकारी
 रा. प्र.नि.मं., बून्दी

घरों में उठरना मुश्किल हो रहा है। पूर्व चेयरमैन महावीर चंदेल ने बताया कि बस्ती के पास सामुदायिक भवन व सुलभ शौचालय बना हुआ है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की ओर से उनके सामने ही कचरा एकत्रित करने से बस्तीवासी सुलभ शौचालय व सामुदायिक भवन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कचरे में दिनभर बेसहारा पशु घूमते रहते हैं। बदबू के कारण निकलना तक दूभर हो रहा है। इस समस्या को लेकर कई बार पालिका प्रशासन को बता दिया, लेकिन समस्या से जानकर अनजान बने हुए हैं।

निखिल सोनी मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए

सुमेरगंजमंडी। केपाटन विधानसभा क्षेत्र के विधायक व बूंदी जिला कांग्रेस अध्यक्ष सीएल प्रेमी ने निखिल सोनी को इंद्रगढ़-सुमेरगंजमंडी कांग्रेस का कार्यवाहक मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे कांग्रेस की गतिविधियां चलते रहे।



श्याम त्रिपाठी, ओमप्रकाश शर्मा, अवधेश शर्मा, संतोष कटारा, अमित शर्मा, पारस जैन, भेरुलाल शर्मा, अंकित शर्मा, किरण शर्मा, अरुणा चतुर्वेदी, प्रेमलता दाधीच, नीलिमा शर्मा, सुलोचना दोराश्री, साधना शृंगी शामिल रहे।

प्रवक्ता नूतन तिवारी ने बताया कि सोमवार को सर्व ब्राह्मण महासभा समिति बूंदी की ओर से बुलबुल का चबूतरा पर शोभायात्रा का अभिनंदन किया जाएगा।



बूंदी शहर में सोमवार से महोत्सव कार्यक्रम शुरू होंगे। इसको लेकर प्रशासन की ओर से नवलसागर झील की पाल पर विशेष सजावट की गई है। इन्हें देखने के लिए रविवार शाम बड़ी संख्या में शहरवासी व पर्यटक शामिल रहे।

नवलसागर क्षेत्र की मनोरम छटा देखकर ही सैलानी मंत्रमुग्ध होकर इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। फ्रांस निवासी सीनियर

सिटीजंस दो सहेलियां इंजाबेल और मेकतिना ने कहा कि ऐसा दृश्य पहले कहीं नहीं देखा। दोनों ने उत्सव के कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी ली।

हॉलैंड निवासी पिता-पुत्री मार्टिन और स्वीजि ने दीपदान कर रही महिलाओं से खूब बातें की और सेल्फी ली। हॉलैंड निवासी मार्टिन ने ने कहा कि वह बूंदी उत्सव में भाग लेने के लिए बड़े उत्सुक है।

चंद्रमोहन संघर्ष समिति अध्यक्ष बने



बसोली। कस्बे के निजी रिसोर्ट में रविवार को जिले के भारतीय जीवन बीमा अधिकतारियों की जॉइंट बैठक हुई। इसमें जॉइंट संघर्ष समिति का गठन कर अध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह को नियुक्त किया। इसमें अजमेर मंडल के राधेश्याम गुप्ता, श्यामलाल शर्मा, मिट्टूलाल, दिनेश कचोलिया, शिवकुमार गुप्ता, सचिन प्रीति पाल शामिल रहे।

भायात्रा और विविध कार्यक्रमों की तैयारियों को दिया अंतिम रूप य बूंदी महोत्सव का शुभारंभ आज



लेते जिला कलेक्टर।

उपखंड मुख्यालयों पर भी होंगे कार्यक्रम

बूंदी महोत्सव के तहत जिले के उपखंड मुख्यालयों सहित अन्य स्थानों पर उत्सवी रंग देखने को मिलेंगे। इसके तहत 18 नवंबर को इंद्रगढ़ व तालेड़ा में, 19 को लाखेरी व नैनवां और 20 को हिंडौली व केपाटन में प्रस्तुतियां दी जाएगी।

टाइगर हिल तक नेचर वॉक 20 को

बूंदी महोत्सव की कड़ी में 20 नवंबर सुबह 7 बजे सुखमहल से टाइगर हिल तक नेचर वॉक का आयोजन होगा। इसके बाद 10 बजे पर्यटक स्वागत केंद्र से ठीकरदा गांव तक देशी विदेशी पर्यटकों की विलेज सफारी का कार्यक्रम रहेगा। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सुखमहल में कैनवास पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अपराह्न 3 बजे कुंभा स्टेडियम में शिल्पग्राम, बूंदी उद्योग व हस्तशिल्प मेला का शुभारंभ होगा। शाम 7 बजे उद्योग मेला मंच पर बूंदी टैलेट शो किया जाएगा।

सुखमहल तक हैरिटेज वॉक 19 को : बूंदी महोत्सव के दूसरे दिन 19 नवंबर को भी लोकानुर्जन कार्यक्रमों का दौर जारी रहेगा। इसके तहत सुबह 9 बजे गढ़ पैलेस से सुखमहल तक हैरिटेज वॉक निकाली जाएगी।

कलेक्टर ने दिया तैयारियों को अंतिम रूप

बूंदी महोत्सव-2024 के भव्य आयोजन को लेकर की गई तैयारियों को रविवार को कलेक्टर अक्षय गोदारा ने बैठक लेकर अंतिम रूप दिया। कलेक्टर ने शोभायात्रा मार्ग में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने शिक्षा व आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बेहतर समन्वय से कार्य करें। दीपदान कार्यक्रम में आमजन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान ट्रैफिक डायवर्ट करने संबंधी सूचना आमजन को दी जाए। कलेक्टर अक्षय गोदारा ने रविवार को बूंदी महोत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने नवल सागर झील, पार्क, कुंभा स्टेडियम में की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी राजेंद्र कुमार मीना, एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर, एसडीएम एचडी सिंह, एसपी उमा शर्मा, सहायक पर्यटन अधिकार प्रेमशंकर सैनी शामिल रहे।

19 को विदेशी पावनों की मान-मनुहार: बूंदी। बूंदी महोत्सव के तहत 19 नवंबर को देशी-विदेशी पावनों की मान-मनुहार की जाएगी।

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
 Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com
 No. RPCB/RO Bundi/PUB-126/1516 Date: 14.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय- मैसर्स रिजल्ट स्टोन क्वार्टा नम्बर 477, 478 व 528 निक्ट्र ज़म डायी, तल्लैल तलेस, जिला बूंदी द्वारा प्रस्तावित केन्दरटेन एवं मेसनी स्टोन मॉर्निंग, मॉर्निंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व सहायक को सूचित किया जाता है कि केन्दरटेन एवं मेसनी स्टोन मॉर्निंग प्रोजेक्ट फुल कन्सल्टेशन 51.9127 हेक्टेयर, फुल अनुमति कन्सल्टेशन अर्थात 4960552 TPA (ROM) अर्थात मैसर्स रिजल्ट स्टोन द्वारा प्रस्तावित केन्दरटेन एवं मेसनी स्टोन मॉर्निंग परियोजना है जिसका (एन. एन. संख्या 10/2023), कन्सल्टेशन 17467 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उपखंड अर्थात 250684 TPA (ROM), जो कि क्वार्टा नम्बर 477, 478 व 528 निक्ट्र ज़म डायी, तल्लैल तलेस, जिला बूंदी में स्थित है से सम्बन्धित प्रारम्भिक चरण में पर्यावरण पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक सख्त कन्सल्टेशन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित राजस्वण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (बूंदी) तक बाद में मण्डल के माध्यम से अतिरिक्तित) को प्रस्तुत किया जावे।

2. और फुल मैसर्स रिजल्ट स्टोन, ने राजस्वण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक सख्त कन्सल्टेशन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आदेश प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मण्डल, नवल सागर, नई दिल्ली द्वारा जारी अतिरिक्त संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं एस.ओ. 1411 दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसार में अनुमति हेतु इस आवेदन की प्रतिलिपि को 30 दिवस का नोटिस देकर ज्ञान अवलोकन है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित सख्त अतिरिक्त (कार्यकारी तराट) एवं सख्त कार्यकारी तराट अतिरिक्त निम्न कार्यकारी में अवलोकनार्थ उपस्था है:-
 i. जिला कलेक्टर, बूंदी। ii. CEO जिला परिय, बूंदी। iii. राजस्वण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संसदीय क्षेत्र इलाक़ा इगरी, अजमेर। iv. क्षेत्रीय कार्यकारी, वन, पर्यावरण एवं जलसुध परियोजना मण्डल, नवल सागर, 05-218, अण्डमान इलाक़ा संसदीय क्षेत्र अजमेर। V. महा प्रान्तिय, जिला उद्योग केन्द्र, बूंदी। vi. उद्योग अतिरिक्त, नवल, जिला बूंदी। vii. क्षेत्रीय पर्यावरण, जिला, बूंदी। viii. जल पर्यावरण, जिला, बूंदी। ix. राजस्वण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, अजमेर। x. क्षेत्रीय कार्यकारी, राजस्वण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी, जिला बूंदी।

अतः सर्वसहायक को कार्यकारी जिला कलेक्टर, बूंदी के पत्र क्रमांक 190 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से सूचित द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त सख्त कन्सल्टेशन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2024 (गुरुवार) को दोपहर 11:00 बजे, कन्सल्टेशन मंडल, नवल सागर, नई दिल्ली, जिला बूंदी। 1. निदेश, पर्यावरण नियंत्रण, क्वार्टा नम्बर 82240, दिनांक 14.11.2024 को प्रस्तुत किया जावे।

सभी क्षेत्रीय कार्यकारी / मैसर्स अतिरिक्त / सख्त कार्यकारी को पत्र लिखित में 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यकारी, राजस्वण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिने ज्ञान सखते है। यह आम सूचना परियोजना मंडल की कार्यकारी-19 से सम्बन्धित क्षेत्रीय / राज्य सरकार द्वारा सन्स-सन्स पर पत्र लिखित में अनुमति एवं अतिरिक्त सखत सखत प्रारम्भ / सखत लिखित को पत्र लिखित करने हेतु है।

क्षेत्रीय अधिकारी
 राज.प्र.म. बूंदी